



राज. शिक्षा के अधिकारी

संघ विभाग, विभाग

संघ विभाग, विभाग

## कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (SAGAR), मध्यप्रदेश

दरभाषः-

फैक्स:

ई-मेलः

फ्रमांकः/11066349/स्कूल आई.डी. - 55812  
प्रति,

दिनांकः 26/05/2018

प्रदेशः

(DELHI PUBLIC SCHOOL MAKRONIA)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।  
सहोदय/महोदयः

आपके आवेदन पत्र दिनांक 23/02/2018 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल - DELHI PUBLIC SCHOOL MAKRONIA, Near Gyan Sagar College Of Engineering, N.H-26, Sironja, Sagar, को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पृति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/सरदता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में दिवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाधि 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाधि 2) के उपवधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के विपरीत समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुसात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वांछित आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वांछित आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम सच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा वरने कि जहाँ स्कूल सर्वे स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपवधि प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगा।
- पैग 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की पतिष्ठिति की जाएगी तथा ऐसी पतिष्ठिति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानदीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सदूत के अभाव में;
  - (ख) सिद्धि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या गूलवश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को पारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपदर्थों के अनुसार निःशक्ति/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; दर्शते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टीविंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं शाम्ल ही नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी व्यारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित विए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में वर्च्चों का लाइब्रेरी विद्या जारीगा।

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

#### सुविधाएं

पार्टल में दर्ज

वास्तविक स्थिति

स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	पार्टल में दर्ज
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	9388	22638
स्कूल का निमित्त क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	7340	22638
खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	2048	11319

#### अधोसंरचना का विवरण

Rooms as

पार्टल में दर्ज

वास्तविक स्थिति

कक्ष

per RTE

संख्या

औसत आकार  
(वर्ग फीट में)

संख्या

औसत आकार  
(वर्ग फीट में)

कक्षों तक उपयोग में आ रहे कक्षों कक्ष	18	70	18	70
कार्यालय कक्षों सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	2	240	2	240
ओजनातय सह-भण्डार	1	10	1	10

#### अन्य सुविधाएं

पार्टल में दर्ज

वास्तविक स्थिति

क्या नगौ सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
पठन याठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
खेलकदार एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
पुस्तकों की संख्या	2000	2000
प्रतिकाएँ/समाचार पत्र	5	5
पेयजल सुविधा का पकार	Tube Well	Tube Well
पेयजल सुविधा की संख्या	8	8
शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	8	8
लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	8	8
दिक्लांग वर्च्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपर्केषित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..11066349.. एवं डाइसकोड (DISE) 23111004114 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

\_\_\_\_\_

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला SAGAR

मध्यप्रदेश